

न्यायालय :- एन.आर. परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगॉव
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

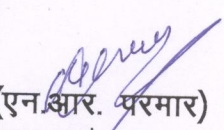
भीकनगॉव दिनांक 29-06-2020

:: सूचना ::

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 29-06-2020 से दिनांक 04-07-2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 29-06-2020 से दिनांक 04-07-2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु अगामी दिनांक
29.06.2020	21.07.2020
30.06.2020	22.07.2020
01.07.2020	23.07.2020
02.07.2020	24.07.2020
03.07.2020	25.07.2020
04.07.2020	27.07.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गयी है।


(एन.आर. परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

(ज्योत्सना आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1

**न्यायालय:- श्रीमति ज्योत्सना आर्य, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगांव,
प0निमाडग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगांव, जिला खरगोन पश्चिम
निमाड (म0प्र0)**

जावक क्रमांक...../2020

भीकनगांव दिनांक 29-06-2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
29-06-2020	17-07-2020(ग्राम न्यायालय)
30-06-2020	11-08-2020
01-07-2020	13-08-2020
02-07-2020	18-08-2020
03-07-2020	20-07-2020(ग्राम न्यायालय)
04-07-2020	19-08-2020

नोट:- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(श्रीमति ज्योत्सना आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
भीकनगांव प0निमाड
(ज्योत्सना आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगांव, प.नि.

(ज्योत्सना आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगाँव, प.नि.

**न्यायालय:- श्रीमति ज्योत्सना आर्य, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगाँव,
प0निमाडग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय भीकनगाँव, जिला खरगोन पश्चिम
निमाड (म0प्र0)**

जावक क्रमांक...../2020

भीकनगाँव दिनांक 29-06-2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जारी जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 29.06.2020 से दिनांक 04.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं:-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
29-06-2020	17-07-2020(ग्राम न्यायालय)
30-06-2020	11-08-2020
01-07-2020	13-08-2020
02-07-2020	18-08-2020
03-07-2020	20-07-2020(ग्राम न्यायालय)
04-07-2020	19-08-2020

नोट:- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(श्रीमति ज्योत्सना आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं
ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
भीकनगाँव, प0निमाड
भीकनगाँव, प.नि.